राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ☐ Rajasthan ☐ India

क्रमांक : प. 11(4) रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/IAS-P/2022/2612 . दिनांक : 05/05/2022

कार्यालय–आदेश

संस्थान रीपा द्वारा दिनांक 16–18 मई 2022 तक आयोजित की जा रही भारतीय प्रशासनिक सेवा (बैच–2020) के प्रशिक्षु अधिकारियों की संस्थानिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

(1) प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा–कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।

(2) Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा–कक्ष में अनुमत नहीं होगी।

(3) व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(4) परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।

(5) परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नही है।

(6) परीक्षा–कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।

(7) परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भांति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थीस्वयं जवाबदेह होगा।

(8) परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी का नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

(9) परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।

(10) परीक्षा–कक्ष छोडने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।

P.T.O.

(11) संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनें पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध संस्थान जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : प. 11 (4) रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/IAS-P/2022/2613-18 दिनांक : 05/05/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
4. ए.सी.पी. (उप निदेशक) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय–आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड.......................
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

Phone: 0141-2706556, 2715222 ❑ Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in ❑ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in